3 pages

365

344

पूर्वोत्तर रेलवे

1
138/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0न0–2–11
क्रमांक–138/2017
स0 का/227/2/भाग–15/चार

दिनांक 19–07–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–ठेके के आधार पर ग्रुप'सी' में पैरामेडिकल कोटियों को किराए पर लेने की योजना की समयावधि बढ़ाना।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एनजी)I I/2005/आरसी–4/एससी/2 दिनांक 22.06.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बोर्ड के सदर्भित पत्र दिनांक 27.06.2016 इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.07.2016 (क्रमांक–107/2016) द्वारा पूर्व में परिचालित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

19.07.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियो में।
6– मुकार्यधि/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

19.07.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

80

R-144

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)II/2005/RC-4/SC/2

New Delhi, dated 22/6/2017

The General Manager (P)
All Zonal Railways/Production Units
CORE/Allahabad & Metro Railway, Kolkata.

Sub: Extension of the scheme of hiring of para-medical categories in Group 'C' on contract basis.

Ref: This office letter of even number dated 27.6.2016.

***

In view of non-availability of regular staff for filling up of posts in para-medical categories as yet and with a view to avoid disruption of medical facilities, it has been decided by the Board to extend the above scheme of filling up of posts in para-medical categories in Group 'C' on contract basis beyond 30.6.2017 for one year i.e. up to 30.6.2018, on the terms and conditions as stipulated vide Board's letter of even number dated 25.06.2014. It must be ensured that suitable break is invariably given between successive contracts. Efforts may also be made to appoint fresh candidates for the above contract. The further extension of para-medical staff would be subject to the condition that contractual staff be discharged immediately on joining of Railway Recruitment Board (RRB) selected candidates.

2. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways (Railway Board).

(Neeraj Kumar)
Director Estt. (N)II
Railway Board.

No. E(NG)II/2005/RC-4/SC/2

New Delhi, dated 22/6/2017

Copy to:

1. FA& CAOs of Zonal Railways/PUs including RDSO/Lucknow, RE/Allahabad and Metro Railway/Kolkata.
2. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Rlys), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi-110001.

for Financial Commissioner/Railways

Copy to:

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.

for Secretary /Railway Board

Copy to: F(E) Spl Branch/Railway Board & Health Branch.

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)।।/2005/आरसी-4/एससी/2

नई दिल्ली, दिनांक 22/06/2017

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन/इलाहाबाद एवं मेट्रो रेलवे, कोलकाता।

विषय : ठेके के आधार पर ग्रुप 'सी' में पैरामेडिकल कोटियों को किराए पर लेने की योजना की समयावधि बढ़ाना।

संदर्भ : इस कार्यालय का दिनांक 27.06.2016 का समसंख्यक पत्र।

पैरामेडिकल कोटियों में पदों को भरने के लिए अभी तक नियमित कर्मचारियों के उपलब्ध न होने को ध्यान में रखते हुए और चिकित्सा सुविधाओं में होने वाले व्यवधान से बचने की दृष्टि से बोर्ड द्वारा ग्रुप 'सी' के पैरामेडिकल कोटियों के पदों को ठेके के आधार पर भरने की उपर्युक्त योजना को बोर्ड के 25.06.2014 के समसंख्यक पत्र के तहत यथा अनुबंधित निबंधन एवं शर्तों के आधार पर 30.06.2017 से एक वर्ष अर्थात् 30.06.2018 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्रमागत ठेकों के बीच उपयुक्त समयांतर अनिवार्य रूप से दिया जाता है। उपर्युक्त ठेके के लिए नए उम्मीदवारों को नियुक्त करने का भी प्रयास किया जाए। पैरामेडिकल कर्मचारियों का आगे विस्तार इस शर्त के साथ किया जाएगा कि रेल भर्ती बोर्ड द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के ज्वाइन करने पर ठेके वाले कर्मचारियों को तत्काल कार्यभार मुक्त कर दिया जाए।

2. इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(नीरज कुमार)
निदेशक स्थापना (अराज. संवर्ग)।।.
रेलवे बोर्ड।

सं. ई(एनजी)।।/2005/आरसी-4/एससी/2

नई दिल्ली, दिनांक 22/06/2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, अ.अ. एवं मा. सं. लखनऊ, केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन/ इलाहाबाद और मेट्रो रेलवे/ कोलकाता।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

एफ(ई) विशेष शाखा/ रेलवे बोर्ड और स्वास्थ्य शाखा।